

4093
रसीद दस्तावेज वगैरह 54

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलदारी व कीमत या दस्तावेज की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके वाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इवारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा
1	2	3
	जि. मो. वी. मि. डी. 195500	171

तारीख 5 FEB 1996



00AA 531024



॥ श्री राम ॥

विक्रय-पत्र

उपरोक्त इयूटी रूपये १४,६६२-५०
पंचायत इयूटी रूपये १,९५०-००
उपकर इयूटी रूपये ७३३-२५
अधिक स्टाम्प रूपये ४-२५

कुल स्टाम्प रूपये १७,३५०-००

ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत
ग्राम मुसारेडी, यहाँ पर पटवारी
हल्का नं. २६ के खसरा नंबर
३५७ पैकी कृषि भूमि ऋण
पुस्तिका क्रमांक ५९१२३१
व्यवहार मूल्य रूपये १,००,०००-००
बाजार मूल्य रूपये १,९५,५००-००

रूपये १,००,०००-०० अक्षरी रूपये एक लाख का चेक क्रमांक एस.बी./ए.एन.-
८०५९२३ दिनांक १५-२-९६ का स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर
एण्ड जयपुर का विक्रेता पक्ष ने क्रेता पक्ष से प्राप्त कर लिये
है।

कुल रूपये १,००,०००-०० अक्षरी रूपये एक लाख मात्र

अविरत.....२

निमला बाई

15 FEB 1996

17/11/1995

10000 रूपये 1000 रूपये 1000 रूपये 50 रूपये 16350

का हेतु न सुनिश्चित

का, सोनियाबाई का सुनिश्चित

का, मनीष का सुनिश्चित

का, विनयादेवी का सुनिश्चित

का, सुनील का सुनिश्चित

का

का सुनिश्चित

श्री हनुमान बेलिम

स्टाम्प चेंडर,

जिला पंजीयक कार्यालय

मेरी हवेना, इंदौर



जीवन अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क 14662-50

नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क

संचायत अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क 1950-

उपकर अधिनियम के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क

अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क

शेष लभान


733-28

4-28

योग

17350

का



17142

15 FEB 1996

जिला कार्यालय

प्रथम कोष के द्वारा
उत्पन्न है।

श्री मती शकुलदा पाठि जि-धरसीका प्रहमून खान बिलख

श्री इ.रा. उप-पञ्जीयक जिला इन्दौर
के उप-पञ्जीयक के कार्यालय में
त.ख. ... 1.5.FEB 1996 को
अ. नं. प्र. वजे
बिस्तृत किया गया है।

स्टेशन टैन्डर,
जिला प्र. एक कार्यालय,
पोली नकला इन्दौर

उप-पञ्जीयक, इन्दौर (स.प्र.)

विमला काई

① श्री मती शकुलदा पाठि जि-धरसीका
के साजक रकम ३५००


२ - श्री संजय प्रता जोषाका
विस्तृत रकम ३५००

उन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानना
स्वीकार करते हैं कि तयाकथित

विस्तृत रकम का वि. शा.द.न.
विस्तृत रकम का वि. शा.द.न.
पूरे/आंशिक रकम का वि. शा.द.न.
तथा र. मा.न. का वि. शा.द.न.

मेंरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और
प्रतिफल की रकमाया रकम : ह

वि. शा.द.न. का वि. शा.द.न.



// ३ //

सदर भूमि पर विक्रेता पक्ष का एक मात्र स्वामित्व एवम् आधिपत्य है तथा विक्रेता क्रमांक २ श्री मनीष पिता श्री गोपालदास ने मुझ निष्पादक श्री संजय पिता गोपालदास जी बिड़ला को उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु उप पंजीयक कार्यालय इन्दौर में पंजीकृत दस्तावेज क्रमांक ४अ/१७/९५ दिनांक २५-४-१९९५ के द्वारा आम मुखत्यार नियुक्त किया है वह आज भी प्रभावशील होकर सदर सम्पूर्ण भूमि को बिक्री करने का विक्रेता पक्ष को पूर्ण अधिकार है। सदर भूमि मय मालकी हक्क सहित विक्रेता पक्ष ने आप क्रेतापक्ष को कीमत रूपये १,००,०००-०० अक्षरी रूपये एक लाख मात्र में बिक्री की है तथा सम्पूर्ण प्रतिफल उपरोक्त मुजब प्राप्त कर लिया है अब प्रतिफल का कुछ भी लेना शेष रहा नहीं है। बिक्री की जा रही कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर
१	३५७ पैकी	०-१०७
कुल	१	०-१०७

अविरत ... ४

171143

15 FEB 1996

जिला कोषालय, इन्दौर
12 FEB 1996
महो

प्रथम पंज के लिये
संलग्न है।

- ① ~~डेवे कु पिता जी पाण्डे~~
~~मि-इ-पॉ~~
- ② ~~हेमन्त पिता नन्दमिश्रा~~
~~मि-इ-पॉ~~

महमूद खान बेलिभ
स्टाम्प वैज्डर,
जिला पञ्जीयक कार्यालय
मोती बबेला इन्दौर

की प्राथमिकता निष्पादन/अनिष्पादन की
विषय में की गई आज
तारीख 15 FEB 1996
सुप-पञ्जीयक इन्दौर (म.प्र.)

विमला बाई

सुप-पञ्जीयक इन्दौर (म.प्र.)
के अंगु
का निराकरण समक्ष में 15 FEB 1996
199 को लिया गया।
सुप-पञ्जीयक इन्दौर (म.प्र.)

Mahmood Khan
Beliwal



// ४ //

सदर भूमि की चर्तुःसीमा निम्नानुसार है :-

- | | | |
|------------|----|--------------------------------------------------|
| पूर्व में | :- | खसरा नंबर ३५७ में जाने के लिये
२५ फीट की सड़क |
| पश्चिम में | :- | रामेश्वर चौधरी की भूमि |
| उत्तर में | :- | खसरा नंबर ३५७ की शेष भूमि |
| दक्षिण में | :- | खसरा नंबर ३५६/१ से लगी हुई भूमि |

(२) यह कि, ऊपर लिखे विवरण व चर्तुःसीमा के मध्य की कृषि भूमि सब आगे से पीछे तक मय जमीन के मालकी हक सहित हम विक्रेतागण ने आप क्रेता को कीमत रूपये १,००,०००-०० अक्षरी रूपये एक लाख मात्र में विक्रय कर दी है व कीमत के चुकते रूपये १,००,०००-०० अक्षरी रूपये एक लाख मात्र में विक्रेता पक्ष ने आप क्रेता पक्ष से ऊपर लिखे मुजब लेकर भरपाये है। अब शेष लेना कुछ भी विक्रेता को क्रेता की तरफ इस विक्रय पत्र बाबद रहा नहीं है। सदर कृषिभूमि का रिक्त कब्जा आपको आज दिनांक को दे दिया है।

(३) यह कि, इस बिक्री की हुई कृषि भूमि को संलग्न नक्शे में लाल रंग से रेखांकित किया बताया गया है। यह नक्शा इस विक्रय पत्र का एक भाग रहेगा तथा इस कृषि भूमि को संक्षिप्तता हेतु "सदर संपत्ति" शब्द से संबोधित किया गया है।

अविरत ...५

17144

जिला कोषा



Handwritten signature/initials

मिहिरूद खान बेस्त्रि
महाराष्ट्र वैडर,
जिला वैजिधक कार्यालय
बोली बबेला, इन्दौर

उपरोक्त निष्वादाक/पारुपा/अनिकता
के अंगूठा
का निष्वादाक/पारुपा/अनिकता
199 को लिया गया।
जयराज
नप-पञ्जीयक इन्दौर (म.प्र.)

15 FEB 1999

Handwritten signature/initials

15 FEB 1999



// ५ //

(४) यह कि, सदर संपत्ति विक्रेता ने क्रेता को बिक्री कर देने से इसके मालिकी के जो-जो हक्क विक्रेतागण को थे, वह सब हक्क रद्द होकर आप क्रेता पक्ष को इस विक्रय पत्र के द्वारा उक्त संपत्ति के मालिकी के पूर्ण हक्क प्राप्त हो गए हैं। अब क्रेता पक्ष ने इस संपत्ति पर अपनी मालिकी करके उसका उपयोग व उपभोग आपने अपनी इच्छानुसार हमेशा लेते जाना, इसमें विक्रेता व उनके उत्तराधिकारी की किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

(५) यह कि, सदर संपत्ति विक्रेता ने क्रेता के सिवाय जगह गिरवी या बिक्री की हुई नहीं है और न कोई को दान या बक्षिस में दी है। और न ही इस प्रकार का अनुबंध ही किसी के साथ किया है। सदर संपत्ति पर किसी का डिक्री, चार्ज, मेंटनेन्स कर्जे का या जमानत का तथा अन्य किसी भी प्रकार का हक्क संबंध या बोझ नहीं है। सदर संपत्ति हर प्रकार के भार व बोझ से मुक्त है। सदर संपत्ति विक्रेता के मालिकी की होकर यह संपत्ति बिक्री करने का विक्रेता को पूर्ण अधिकार है।

(६) यह कि, भविष्य में उक्त-संपत्ति के मालिकी बाबद कोई भी वारिस या हक्कदार खड़ा होकर क्रेता से किसी भी प्रकार का दावा, झगड़ा करेगा या क्रेता के कब्जे में किसी भी प्रकार की आपत्ति लावेगा तो उसका निराकरण विक्रेतागण अपने स्वयं के खर्चे से करेंगे, क्रेता को किसी भी प्रकार का खर्चा या नुकसानी लगने देवेगें नहीं।

अविरत...६



// ६ //


(७) यह कि, विक्रेतागण व क्रेता भू-राजस्व संहिता १९५९ एवं म.प्र. कृषि जोत अधिनियम १९७२ के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है व कृषि कार्य होने से सदर भूमि पर शहरी सीमा अधिनियम १९७६ के प्रावधान लागू नहीं होते हैं एवं सदर भूमि इंदौर विकास प्राधिकरण की किसी योजना में समाविष्ट नहीं है।

(८) यह कि, सदर संपत्ति की सरकारी तोजी रजिस्ट्री दिनांक तक विक्रेतागण देवेंगे व रजिस्ट्री दिनांक के पश्चात आप क्रेता पक्ष ने देते जाना और क्रेता ने सदर संपत्ति पर अपना नामांतरण तहसील कार्यालय एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यालयों में दाखिल करवा लेना। नामांतरण का समस्त खर्च क्रेता पक्ष द्वारा ही वहन किया जावेगा। नामांतरण होने में विक्रेतागण के सही की बयान की जो भी मदद होगी वह विक्रेता पक्ष, क्रेता पक्ष को अवश्य देवेंगे।

(९) यह कि, विक्रेतागण यह भी घोषित एवं निश्चित करते हैं कि उक्त भूमि किसी भी प्रकार की शासकीय, अशासकीय योजना आदि में समाविष्ट नहीं है तथा न ही यह भूमि किसी भी प्रकार के अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित है इस भूमि के अधिग्रहण बाबद विक्रेता पक्ष को आज दिनांक तक कोई भी सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

अविरत...७

Signature




// ७ //

(१०) यह कि, उक्त सम्पत्ति के लिये वर्तमान में किसी भी प्रकार का पारिवारिक या न्यायिक विवाद आदि लम्बित नहीं है और न ही उक्त सम्पत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति या संस्था का हक्क अधिकार स्वत्व आदि है उक्त सम्पत्ति सनस्त प्रकार के भार, बोझ व अन्तरण आदि से मुक्त है ।

(११) यह कि सदर संपत्ति के मालिकी ब्राबद विक्रेता पक्ष के नाम का असल विक्रय पत्र क्रमांक १अ/७५(घ)/९४ की प्रतिलिपि विक्रेता पक्ष ने क्रेता पक्ष को दे दिये है ।

(१२) यह कि, सदर सम्पत्ति के रजिस्ट्रेशन का सम्पूर्ण खर्च जैसे स्टॉम्प, पंजीयन फीस एवं वकील फीस क्रेता पक्ष ने वहन की है ।

अविरत.....८



11 - 6 - 11

यह कृषि भूमि का विक्रय पत्र विक्रेता पक्ष ने आप क्रेता पक्ष के हित में अपनी राजी खुशी से बिना मादक द्रव्य सेवन किये, सम्पूर्ण प्रतिफल लेकर आदि से अन्त तक पढ़कर, समझकर, अपने पूर्ण विवेक में रहते हुए साक्षीगणों के समक्ष हस्ताक्षर किये ताकि आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

इति, इन्दौर
दिनांक 15/2/96

साक्षीगण:-

१. शंकर
नाम शंकर शिंदे
पता जो बलर दासजी शिंदे
२. विजय शंकर पांडे
पता 109 R.M.T. Market
नाम देवदास शिंदे
24/2/96

हस्ताक्षर-विक्रेता

१. विमलाबाई
२. शंकर

उभय पक्षों द्वारा प्रदत्त माहिती अनुसार
विक्रय पत्र मैंने मेरे कार्यालय में तैयार किया है।

Vijay Shankar Pandey
विजय शंकर पांडे एडवोकेट

१०५ मासुति चेम्बर २६/१मोती तबेला, इन्दौर म०प्र०

17147

15 FEB 1970

प्रथम पैल के साथ

मेहता बलिम
रामा चेंडर,
जिला पब्लिक कार्य
क्षेत्री बरेला, इत्यादि

888
Prader
य-प्रदेश

17148

15 FEB 1996



प्रथम पेज के साथ
लगाया है।

म. श्री बलिम
राम्य वैजस
जिला पञ्जिक का
मोती तवेला, इ.

PLAN of Khastri N.

357 part village
MUSA Kriedi

28/2/2014



विमल बाई

28/2/2014

15 FEB 1996

माह _____ वर्ष _____
क्रमांक 10191 के 10 पृष्ठ
50/64 (509305)
संज्ञक पंजीयन किया गया।



जि.म. शुल्क _____
नस्ब शुल्क रु. _____
पंजीयन शुल्क रु. _____
मुलाना शुल्क रु. _____
योग रु. 1744 पैसे

[Signature]
अपभन्धीयक, इन्दौर (म.प्र.)

